अमरजीत सिंह v/s जम्बो फिनवेस्ट

प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन करने बाबत। प्र० सं० 54/2020

22-12-2020	वकील उभय पक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी का खाता वित्तीय संस्था द्वारा 9.10.2019 को एन.पी.ए. किया गया, एन.पी.ए. होने के बाद भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट एवं रसीदों अनुसार दिनांक दिसम्बर–2019, जनवरी–20,2/20203/2020 एवं 9/2020 को प्रतिमाह 45000/– जमा करवाए है । कोविड–19 के दौरान आर.बी.आई. द्वारा भी छूट दी हुई है, फिर भी प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाई गई है । अतः कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा जारी पूर्व आदेश 26.8.2020 प्रकरण संख्या 47/2020 उनवान जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि0 बनाम अमरजीत में जारी आदेश की कियान्विति आगामी 03 (तीन) माह तक स्थगित जाती है । प्रार्थी शेष किश्तों का भुगतान नियमितरूप से जमा करावें । 03(तीन) माह पश्चात नियमित किश्तों का भुगतान नहीं होने की दशा में पूर्व आदेश दिनांक 26.8.2020 प्रभावी माना जावेगा । निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं अप्रार्थी वित्तिय संस्था को पालनार्थ भेजी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें । बाद तामिल तकमील मूल पत्रावली के साथ संलग्न दाखिल दफ्तर हो । जिला कलेक्टर कोटा	